

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


20

24

आमरणकाल उपरिपत्र । पीनरतीन अधिकारी
अन्व कार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है । प्रभावतः
दिनांक 26.03.24 को पेश हो ।

26

26.03.2024:-पत्रावली पेशी में आई। वादी वकील उपस्थित नहीं आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया पत्रावली में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम



न्यायालय सहायक
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

del
y/ul/16

रामपाल पुत्र श्री काशीराम जाति जाट उम्र 54 वर्ष नि
रावतसर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. कृष्णलाल } पिसरान स्वर्गीय श्री चुन्नीराम जाति जाट नि
2. हंसराज } तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
3. प्रहलाद }
4. छोटूराम }
5. सुखीदेवी पुत्री स्व0 श्री चुन्नीराम जाति जाट निवासी धोल
हनुमानगढ़।
6. तारादेवी धर्मपत्नि स्व0 श्री काशीराम
7. रणवीर पुत्र स्व0 श्री काशीराम
8. गंगाराम पुत्र स्व0 श्री काशीराम
9. सन्तोष धर्मपत्नि स्व0 श्री महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री काशीराम
10. जयदेव पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र } पुत्रगण स्व.श्री काशीराम
11. उर्मिला पुत्री स्व0 श्री महेन्द्र }

खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं
स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पत्र

श्रीमान् जी,

वाद पत्र वादी निम्नलिखित है:-

यह कि वादी एवं प्रतिवादी का पंजीबद्ध पता वा
वर्णितानुसार है।

